

स स्थय फ ल त्र
स स्थय फ ल फ

तारांकित प्रश्न सं : 4440

19 , 2019 प्रश्न त

द त

4440. श्री हरोश द्विवेदो:

श्री विजय बघेल:

क स्वास्थ्य और परिवार कल्याण त्रि बताने को कृपा करगे कि:

(क) देश म पैकेटबंद वस्तुओं को शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या मानदंड बनाए गए ;

() फ द स ा / फ ा
लोगों के विरुद्ध दण्ड प्रावधा ढ क ;

(ग) देश म खाद्य वस्तुओं को गुणवत्ता को जांच हेतु स्थापित प्राधिकृत प्र ज
स - ढ क ;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को खाद्य जांच प्र ा स फि फि ा फि
, त ढ क तीन वर्षों के दौरान राज्यों को इस प्रयोजन हेतु त
सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र- फ निर्धि आवंटित को गई है;

(ङ) क्या सरकार का पैकेटबंद खाद्य वस्तुओं म प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर खाद्य स
फि नियमों को और सख्त बनाने पर विचार कर रहा है तथा यदि हां, त ढ क ?

स स्थय फ ल ज मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य एवं (द
त द मानक तथा खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के तहत अधिकांश खाद्य श्रेणियों के लिए खाद्य
फि धारित किए हां फि फि ि फि प्र ष द श्रेणियों म

फि प्रप खाद्य योजकां को सीमाएं फि फि द क्ष
(फि , फि क फि ष) विनियमन, 2011 के तहत विभिन्न स फि ।
फि, कोटनाशकां और एंटोबायोटिक्स अर्वाशिष्टां फि फि धारित को हा।

द क्ष () विनियम , 2011 फि 04 स च
स स्थय संबंधी परिपाटियां का प्रावधान करती है जिनका खाद्य व्य प्र फि ()
किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, क द स ओं का विनिमाण करने वाले प्रत्ये
फएसएस (पैकिंग एवं लेबलिंग) विनियम , 2011 के प्रावधानां का पालन करना होता है
जिनम यह अनिवाय है कि प्री- क खाद्य को पोषण संबंधी सूचना घटकां को सूची किस अर्वाधि तक
प्र बेहतर है आदि को दशाया जाने जैसा इन विनियमां के उप-फि फि 2.2.2
फि फि फि फि फि , पैककताओं थोक बिब्रेताओं, वितरकां और बिब्रेताओं सहित खाद्य
व प्र फि () का जिम्मे फि क्र : द क्ष फि फि ,
2006 फि 26 27 फि फि

() : द क्ष मानक (एफएसएस) अर्धिनियम, 2006 फि 52 ब्र द क्ष
फि , धारा 53 जो भ्रामक विज्ञापन हेतु दंड से संबंधित है और धारा61 जो गलत
फि , फि फि त क प्रावधान उन मामलां म लागू होगा जहां पैक खाद्य
स फि फि / मानदंडां के विपरित पाये जाते हा।

(ग): वतमान म एफएसएसएआई के पास संपूण देश म 259 प्रयोगकताओं का नेटवक है जिसम प्रार्थमिक
परोक्षण के लिए 241 प्रयोगशालाएं (एफएसएस अर्धिनियम का 43 (1) न प्राप्त
फि फि 179 ट्र शन प्रावधान के तहत संचालित 62 ज खाद्य प्रयोगशालाओं सहित और
फि () परोक्षणां फि 18 प्र क अर्धिनियम का धारा 43(2)
न ता प्राप्त फि फि , फि प्र फि ज / ज क्षेत्र- स -
ख ग -। फि

() : 481.95 करोड़ रुपए के परिव्य 'मोबाईल खाद्य परोक्षण प्रयोगशालाओं के
प्रावधान सहित देश म खाद्य परोक्षण प्रणाला के सुदृढीकरण' संबंधी केन्द्री क्षेत्र का योजना (सीएसएस)
न , ज खाद्य प्रयोगशाला के नवीनीकरण,
उपकरणां को खरोद, - - पर काइक्रोबायोलोजी प्रयोगशालाओं को स्था फि
10 रु फि फि फि है। इस केन्द्री क्षेत्र का योजना म अन्य फि -
अरूणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यां ज , द प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटोएल)
फि त य सहयोग को परिकल्पना को गई है बशत कि राज्य फि त फि फि
ज फि वहाय प्रस्ता प्रप फि त ज फि ज प्र

न ि तीन वर्षा के दौरान जारी निर्धियां का राज्य/ ङ क्षेत्र- ढ ग -
॥ ि

(.): द् स ओं से संबंधित सभी नियमां और विनियमां का निरंतर समीक्षा का जाती है और इन्ह
क ि १ १ क बदलाव किए जाते ह।

ज /केन्द्र शासित प्रदेश- खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या

क्र.	राज्य / केन्द्र प्र	विधि, 2006 के अन्तर्गत 43(1) के अधिसूचित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ			क्र प्र	विधि, 2006 के अधिसूचित प्र
				विधि		
		ज	न			
1	ध्र प्र	-	1 -1	विधि -3 ल -1 -1	विधि -1	-1
2		-	-	-	1 -1	-
3	विधि	-	-	-	-1	-
4	विधि	-	-	-	-1	-
5	विधि	-	-	-1	-	-
6	दिल्ली को	-	-	दिल्ली -19	दिल्ली-1	-
7		-	-	-1	Bambolim -1	-
8		-1 -1 -1	-	-5 -2 -2 -1	-1	-1-
9	विधि	-	-	-3 -4 रुग्ण -6 -1	-1, 1	-
10	विधि प्र	-	-	विधि-	-1	-
11	जम्मू और कश्मीर	-	1 -1	-	1 -1, श्री -1	-
12		-	-	-1	-1	-
13		-	-	रु -12 -1	रु -2 -1, -1, -1	रु -1, रु -1
14		विधि -1 विधि -1 रु -1	त्रिशूर -1 विधि -1 पथानामथिहा -1 विधि -1 विधि -1	विधि -5 रु -2	-	विधि -2

15	मध्य प्रदेश	-	-	-5 -2 -1	-1	-
16	ष्ट	-1 -1	-1 -1	f -2 -5 -6 -7 -3	-2, -1, ल -1 -1 -1 -2 f -1 -1 -1 -2, -1 -1	-2 -1
17	f	-	-	-	f -1	-
18		-	-	-	f -1	-
19		-	-	-	f -1	-
20	f	-	-	३ -1	३ -1	-
21	।	-	-	-	। -1	-
22		-	। -1	f -1 f -1	-1	। -1
23	रु	-	-1	-5	-1 -1 -1 -1, -1, -1	-
24	f के	-	-	-	f	-
25	f	-	न -1	न -14 -1 -1 -1	-1, न - 1 -1 -1 -1 f रु । -1	न -1, -1
26		-1	-	-9	-	-3
7	त्रि	-	-1	-	ल -1	-
8	त प्र	-1 -1	प्र -1 -1 -1	-2 -2	-1 -1 -1 -1	-1, -1
29	त	-	-	रु । -1	रुद्रपुर-1	-
30	।	-	-3	-4	-1	-1
		12	19	148	62	18

ज प्र न लिए कद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जारो कोष का राज्य/ क्षेत्र f

क्र.	राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ	जारो को गई राशि ()		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश (f हृ)	0.50	0.00	0.00
2	(हृ)	0.50	3.50	3.20
3	f ()	0.00	0.00	4.00
4	हृ ()	0.00	0.35	8.60
5	दिल्ली	0.50	4.25	4.70
6	(हृ f)	0.50	4.25	4.70
7	()	0.50	0.35	9.05
8	()	0.00	0.00	0.50
9	f ()	0.50	0.00	8.45
10	हिमाचल प्रदेश ()	0.50	0.00	0.00
11	हृ श (हृ)	0.50	6.00	0.00
12	जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर)	0.00	6.50	0.00
13	()	0.00	0.00	5.50
14	()	0.50	8.50	0.50
15	()	0.00	0.00	5.00
16	(f)	0.50	8.50	0.50
17	(f हृ)	0.00	0.00	0.50
18	हृ प्र ()	0.50	0.00	8.45
19	महाराष्ट्र (,)	0.50	0.00	0.00
20	f ()	0.00	0.50	8.45
21	f ()	0.00	0.00	2.40
22	(f)	0.00	0.50	8.95
23	(f)	0.50	2.00	6.95
24	f (श)	0.50	0.00	8.45
25	f (f)	0.00	0.00	0.50
26	()	0.50	3.50	1.25
27	हृ ()	0.00	0.00	7.20
28	हृ ()	0.00	0.00	7.20
29	हृ ()	0.00	0.00	0.50
30	f के (f)	0.00	0.00	5.00

31	f ()	0.50	6.00	0.50
32	f ()	0.00	0.00	7.20
33	()	0.00	2.50	6.95
34	उत्तर प्रदेश ()	0.50	2.00	5.95
35	त (रुद्रपुर)	0.50	0.00	0.00
36	इ ()	0.50	8.50	0.50
37	त्रि	0.00	0.00	0.00
		9.50	67.70	141.60